

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 64/24

GCMS NO 2024/108

मूर्ति मंदिर रघुनाथ जी जरिये पुजारी जगदीश नारायण मिश्र पुत्र स्व०गेंदीलाल जाति ब्राह्मण
निवासी चूली गेट गंगापुर सिटी।

अपीलांत

बनाम

1. प्रेम देवी पत्नि स्व०एदल प्रसाद
चांद नारायण पुत्र सत्यनारायण
युक्ति प्रसाद पुत्र देवी दयाल जातियान ब्राह्मण निवासीचान चूली गेट गंगापुर सिटी
राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर हाल जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी
3. मंदिर श्री रघुनाथ महाराज विराजमान गंगापुर सिटी जरिये कमिश्नर देवस्थान विभाग
उदयपुर
7. तुलसी पुत्री लाजपतराय पत्नि शंभूदयाल जाति ब्राह्मण निवासी चोटी बाजार निवाई जिला
टोंक
8. वंदना पुत्री लाजपतराय पत्नि महेश कुमार जाति ब्राह्मण निवासी राजकीय महाविद्यालय के
सामने दौसा
9. इन्द्रा पुत्री लाजपतराय पत्नि नरेन्द्र कुमार रेल्वे ड्राईवर जाति ब्राह्मण निवासी लोको
कालोनी कोटा
10. राहुल पुत्र नरेन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड न० 25 झालरा कुऐ के पास गंगापुर सिटी
11. रजत पुत्र स्व०नरेन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड न० 25 झालरा कुऐ के पास गंगापुर सिटी
हाल कार्यरत जिला जज कार्यालय सवाई माधोपुर
12. कावेशी पत्नि नरेन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड न० 25 झालरा कुऐ के पास गंगापुर सिटी
13. रेखा पुत्री लाजपत जाति ब्राह्मण निवासी चूली गेट गंगापुर सिटी जिला गंगापुर सिटी
14. घनश्याम पुत्र स्व०एदल प्रसाद
15. सतीश पुत्र स्व०एदल प्रसाद जातियान ब्राह्मण निवासीचान चूली गेट गंगापुर सिटी

अपील संख्या - 63/24

GCMS NO 2024/109

राजेन्द्र मिश्र रामस्वरूप मिश्र जाति ब्राह्मण निवासी चूली गेट गंगापुर सिटी जिला गंगापुर
सिटी

अपीलांत

बनाम

1. प्रेम देवी पत्नि स्व०एदल प्रसाद
2. चांद नारायण पुत्र सत्यनारायण
3. युक्ति प्रसाद पुत्र देवी दयाल जातियान ब्राह्मण निवासीचान चूली गेट गंगापुर सिटी
4. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर हाल जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
5. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी
6. मंदिर श्री रघुनाथ महाराज विराजमान गंगापुर सिटी जरिये कमिश्नर देवस्थान विभाग
उदयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर



7. तुलसी पुत्री लाजपतराय पत्नि शंभूदयाल जाति ब्राह्मण निवासी चोटी बाजार निवाई जिला टोंक
8. वंदना पुत्री लाजपतराय पत्नि महेश कुमार जाति ब्राह्मण निवासी राजकीय महाविद्यालय के सामने दौसा
9. इन्द्रा पुत्री लाजपतराय पत्नि नरेन्द्र कुमार रेल्वे ड्राईवर जाति ब्राह्मण निवासी लोको कालोनी कोटा
10. राहुल पुत्र नरेन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड न0 25 झालरा कुऐ के पास गंगापुर सिटी
11. रजत पुत्र स्व0नरेन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड न0 25 झालरा कुऐ के पास गंगापुर सिटी हाल कार्यरत जिला जज कार्यालय सवाई माधोपुर
12. कावेरी पत्नि नरेन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड न0 25 झालरा कुऐ के पास गंगापुर सिटी
13. रेखा पुत्री लाजपत जाति ब्राह्मण निवासी चूली गेट गंगापुर सिटी जिला गंगापुर सिटी
14. घनश्याम पुत्र स्व0एदल प्रसाद
15. सतीश पुत्र स्व0एदल प्रसाद जातियान ब्राह्मण निवासीयान चूली गेट गंगापुर सिटी
16. जगदीश नारायण मिश्र पुत्र गेंदीलाल मिश्र जाति ब्राह्मण निवासी चूली गेट गंगापुर सिटी रेस्पो0.....

अपील संख्या - 72/24.

GCMS NO 2024/159

मूर्ति मंदिर रघुनाथ जी विराजमान गंगापुर सिटी मे वाद मित्र अशोक पुत्र रमेश जाति ब्राह्मण निवासी गंगापुर सिटी

अपीलांत

बनाम

1. प्रेम देवी पत्नि स्व0एदल प्रसाद
2. चांद नारायण पुत्र सत्यनारायण
3. युक्ति प्रसाद पुत्र देवी दयाल जातियान ब्राह्मण निवासीयान चूली गेट गंगापुर सिटी
4. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
5. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी
6. कमिश्नर देवस्थान विभाग उदयपुर
7. तुलसी पुत्री लाजपतराय पत्नि शंभूदयाल जाति ब्राह्मण निवासी चोटी बाजार निवाई जिला टोंक
8. वंदना पुत्री लाजपतराय पत्नि महेश कुमार जाति ब्राह्मण निवासी राजकीय महाविद्यालय के सामने दौसा
9. इन्द्रा पुत्री लाजपतराय पत्नि नरेन्द्र कुमार रेल्वे ड्राईवर जाति ब्राह्मण निवासी लोको कालोनी कोटा
10. राहुल पुत्र नरेन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड न0 25 झालरा कुऐ के पास गंगापुर सिटी
11. रजत पुत्र स्व0नरेन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड न0 25 झालरा कुऐ के पास गंगापुर सिटी
12. कावेरी पत्नि स्व0 नरेन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड न0 25 झालरा कुऐ के पास गंगापुर सिटी
13. रेखा पुत्री लाजपतराय जाति ब्राह्मण निवासी चूली गेट गंगापुर सिटी जिला गंगापुर सिटी
14. घनश्याम पुत्र एदल प्रसाद
15. सतीश पुत्रएदल प्रसाद जातियान ब्राह्मण निवासीयान चूली गेट गंगापुर सिटी
16. राजेन्द्र मिश्र पुत्र रामस्वरूप मिश्र ब्राह्मण निवासी चूली गेट गंगापुर सिटी

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

17. जगदीश नारायण मिश्र पुत्र गेंदीलाल मिश्र जाति ब्राह्मण निवासी चूली गेट गंगापुर सिटी
रेस्पो0

अपील संख्या - 80/24

GCMS NO 2024/132

1. मूर्ति मंदिर रघुनाथ जी विराजमान गंगापुर सिटी जरिये कमिश्नर देवस्थान विभाग उदयपुर
जरिये ओ0आई0सी0 पुष्पेन्द्र चतुर्वेदी पुत्र श्री दामोदर लाल ब्राह्मण निवासी निरीक्षक ग्रेड
प्रथम देवस्थान करौली
2. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी

अपीलांट

बनाम



1. प्रेम देवी पत्नि स्व0एदल प्रसाद
2. चांद नारायण पुत्र सत्यनारायण
3. युक्ति प्रसाद पुत्र देवी दयाल जातियान ब्राह्मण निवासीचान चूली गेट गंगापुर सिटी
4. तुलसी पुत्री लाजपतराय पत्नि शंभूदयाल जाति ब्राह्मण निवासी चोटी बाजार निवाई जिला
टोंक
5. वंदना पुत्री लाजपतराय पत्नि महेश कुमार जाति ब्राह्मण निवासी राजकीय महाविधालय के
सामने दौसा
6. इन्द्रा पुत्री लाजपतराय पत्नि नरेन्द्र कुमार रेल्वे ड्राईवर जाति ब्राह्मण निवासी लोको
कालोनी कोटा
7. राहुल पुत्र स्व0 नरेन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड न0 25 झालरा कुऐ के पास गंगापुर
सिटी
8. रजत पुत्र स्व0नरेन्द्र जाति ब्राह्मण नाबालिंग वविलायत माता काबेरी बेवा स्व0 नरेन्द्र जाति
ब्राह्मण निवासी वार्ड न0 25 झालरा कुऐ के पास गंगापुर सिटी
9. काबेरी पत्नि स्व0 नरेन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड न0 25 झालरा कुऐ के पास गंगापुर
सिटी
10. रेखा पुत्री लाजपतराय जाति ब्राह्मण निवासी चूली गेट गंगापुर सिटी जिला गंगापुर सिटी
11. घनश्याम पुत्र एदल प्रसाद
12. सतीश पुत्र एदल प्रसाद जातियान ब्राह्मण निवासीयान चूली गेट गंगापुर सिटी
13. राजेन्द्र मिश्र पुत्र रामस्वरूप मिश्र ब्राह्मण निवासी चूली गेट गंगापुर सिटी
14. जगदीश नारायण मिश्र पुत्र गेंदीलाल मिश्र जाति ब्राह्मण निवासी चूली गेट गंगापुर सिटी
रेस्पो0

(अपीले विरुद्ध मु0नं0 187/94 निर्णय व डिक्री दिनांक 2.8.24 न्यायालय उप जिला कलेक्टर,
गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री शिवकुमार शर्मा, श्री तरुण कुमार शर्मा, श्री नवीन शर्मा
अभिभाषक रैस्पो0 श्री श्याम मोहन शर्मा, श्री सतीश कुमार शर्मा

दिनांक 30.12.2024

निर्णय


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

प्रस्तुत चारो अपीलें अपीला० की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 2.8.24 न्यायालय उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी पेश की है ।

प्रस्तुत चारो अपीलें एक ही निर्णय व डिक्री के विरुद्ध पेश की गई हैं जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोंडेंट संख्या 2 ता 3 द्वारा एक दावा बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश कि वादिया न० 1 पंचतुर्भुज की पुत्रवधु व वादी न० 2 व 3 पुत्रों के लडके हैं। साबिक ख० न० 824 रकबा 3 विस्वा, 817 रकबा 1 बीघा 2 विस्वा, 818 रकबा 1 बीघा 2 विस्वा, 821 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा, 825 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा, 822 रकबा 2 बीघा 19 विस्वा, 815 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा, 816 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा, 823 रकबा 9 विस्वा कुल कित्ता 9 कुल रकबा 18 बीघा 3 विस्वा ग्राम मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी पंचतुर्भुज की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि थी। जिसके एकीकरण में ख० न० 441 रकबा 3 विस्वा, 442/1 रकबा 17 बीघा 9 विस्वा, 442/2 रकबा 9 विस्वा कुल कित्ता 3 कुल रकबा 18 बीघा 6 विस्वा बनाये गये। हाल सेटलमेंट में इनके नये नम्बर 1063 रकबा 4.36 है०, 1064 रकबा 0.06 है०, 1065 रकबा 0.06 है०, 1066 रकबा 0.02 है०, 1067 रकबा 0.11 है० बने हैं। उक्त भूमि सम्वत् 1984 के बाद जयपुर रियासत में कोन्सिल जयपुर ने इस मंदिर की माफी खालसा करके स्टेट के कब्जे में ले ली थी और सम्वत् 2003 में उक्त भूमि के सबटीनेन्ट पंचतुर्भुज थे और उनके नाम कब्जे व मौके पर काश्त के आधार पर उक्त भूमि की खातेदारी दर्ज की गई। उक्त भूमि के पुजारी पंचहीरालाल थे जो फौत हो गये और सम्वत् 2003 से लगातार उक्त भूमि पंचतुर्भुज की खातेदारी में चली आ रही थी। वही काश्त कर लगान अदा करते चले आ रहे थे। सन 1974 में उक्त भूमि पंचतुर्भुज ने जरिये दानपत्र वादीगण के नाम कर दी थी और कब्जा वादीगण को दे दिया गया था। तभी से वादीगण उक्त भूमि पर काबिज काश्त हैं और सरकारी लगान अदा करते चले आ रहे हैं। दान पत्र के बाद उक्त भूमि की खातेदारी विधिवत वादीगण के नाम दर्ज गई थी और राजस्व रिकार्ड में इसका अमल हो चुका था परन्तु हाल सेटलमेंट ने बिना किसी सक्षम आदेश के वादीगण को बिना कोई सुनवाई का मौका दिये उक्त भूमि मंदिर श्री रघुनाथ जी के माफी में दर्ज कर दी और हाल ख० न० 1067 रकबा 11 ऐयर को सिवायचक दर्ज कर दिया जबकि भू प्रबंध विभाग को ऐंसा करने का कोई अधिकार नहीं था। उक्त भूमि पर वादीगण ही काबिज काश्त हैं। अन्य दीगर व्यक्ति का कोई वास्ता नहीं है। उक्त भूमि को गलत तरीके से माफी मंदिर श्री रघुनाथ जी विराजमान गंगापुर सिटी दर्ज किया गया है। उक्त मंदिर की पूजा वेतन से होती है और पुजारी वेतन भोगी राजस्थान सरकार का है। कोई पुजारी नहीं है और उक्त मंदिर की देखभाल रखरखाव देवस्थान विभाग के जिम्मे है। इस कारण देवस्थान विभाग को पक्षकार बनाया गया है। दिनांक 16.3.94 को हल्का पटवारी व अन्य व्यक्तियों ने वादीगण को बताया कि उक्त भूमि मंदिर श्री रघुनाथजी के दर्ज कर दी है। इस कारण दावा कराना आवश्यक हुआ तथा पटवारी हल्का द्वारा धारा 91 को नोटिस दिये जाने से दावा स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ। उक्त भूमि के काश्तकार पंचतुर्भुज सबटीनेन्ट हैं और उक्त भूमि खालसा पूर्व में हो चुकी है। इस आशय का एक पत्र प्रतिवादी न० 1 ने प्रतिवादी संख्या 3 को दिनांक 2 जुलाई 1983 को आयुक्त देवस्थान विभाग राज० उदयपुर को जारी किया गया था जो भी वादी के

राजस्व अंशदाता अधिकारी
सवाई माधोपुर

तथ्य की पुष्टि करता है। प्रतिवादीगण इस एडमिशन से मुकर नहीं सकते हैं। इस कारण इस गलत इन्द्राज का दुरुस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। अतः दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का डिकी फरमाया जावे कि दावे के मद न0 1 में वर्णित आराजीयात को वादीगण की खातेदारी घोषणा करके रेवेन्यू रिकार्ड में इन्द्राज दुरुस्त किया जावे और माफी मंदिर रघुनाथ जी का नाम उक्त भूमि से हटाया जाकर वादीगण के नाम दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वाद पत्र में मद न0 1 में वर्णित आराजीयात के वादी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा व अडचन पैदा नहीं करे और न ही किसी अन्य से करावे तथा भविष्य में उक्त भूमि का इन्द्राज बिना किसी सक्षम आदेश के नहीं करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/रेस्प0 संख्या 1 ता 3 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांतान द्वारा यह अपीले इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्प0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अंकित किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यो का का गहनता से परीक्षण नहीं कर निर्णय पारित किया गया है। मंदिर की भूमि सम्वत 1984 के बाद खालसा होने का कथन निराधार है। वादी/रेस्प0 द्वारा भूमि खालसा होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत अधिनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किया है। किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि खालसा की गई है व किस आदेश से की गई है। उनके द्वारा इस प्रकार का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मंदिर की भूमि को किस आधार पर खालसा होना माना है। वह एक सामान्य प्रशासनिक पत्राचार की फोटो प्रति है। उक्त पत्र में यह भी अंकित नहीं है कि भूमि खालसा किस ग्राम की कौन से ख0न0 की कितना रकबा किस तिथी को की गई है। गंगापुर सिटी में मंदिर रघुनाथजी के नाम से दो मंदिर है तो यह किस मंदिर से संबंधित है। तथाकथित पत्र की सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रति नहीं होने के बावजूद फोटो प्रति अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य के रूप में ग्रहण की है जो साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस बाबत अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिरोध भी किया गया था जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अनदेखा किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 को निर्णय का मुख्य आधार मानकर निर्णय पारित किया है जो विधि विरुद्ध है। उक्त वर्णित भूमि राजस्व रिकार्ड में सन 1984 से लेकर वर्तमान सम्वत तक मंदिर के नाम दर्ज रही है। खतौनी एकीकरण कर्मचारियों द्वारा पुजारियों के नाम खतौनी में गलत रूप से दर्ज कर दिये गये हैं। राज्य सरकार के ध्यान में आने पर राज्य सरकार द्वारा समय समय पर पुजारियों के नाम विलोपित करने हेतु परिपत्र जारी किये गये हैं। किसी भी मंदिर की भूमि को खालसा किये जाने एवं खातेदारी दिये जाने के प्रकरण राजस्थान भूमि सुधार व जागीर उन्मूलन अधिनियम 1952 के तहत निस्तारित किये जा सकते हैं किसी अन्य विधि के अन्तर्गत नहीं किये जा सकते हैं और


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

उसमे भी विशेष रूप से धारा 90 के प्रावधानों के अनुसार ही किये जा सकते हैं। मंदिर श्री रघुनाथजी की उक्त वर्णित भूमि सम्वत 1984 से वर्तमान सम्वत तक राजस्व रिकार्ड में भूमि मंदिर रघुनाथजी के खातेदारी में दर्ज है जिनके दस्तावेजी साक्ष्य राजस्व रिकार्ड की प्रतिलिपी अधिनस्थ न्यायालय में पेश की गई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भारत संघ बनाम वशाबी कोर्टिंग हाउसिंग सोसायटी व अन्य में पारित निर्णय में यह मत प्रतिपादित किया है कि वादी को स्वयं अपना वाद वस्तु पर अपना स्वतः प्रमाणित करना आवश्यक है। वादी, प्रतिवादी के स्वत्व साबित करने में असफलता का लाभ नहीं ले सकता है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 (जयनारायण द्वारा पेश जबाब दावे के जबाबुल जबाब जो दिनांक 23.2.99 को प्रस्तुत किया है के चरण संख्या 1 की चौथी पंक्ति में वादीगण ने कथन किया है कि मंदिर श्री रघुनाथ जी सेवा पूजा पंडित चतुर्भुज जी करते थे तथा वादीगण ने भी अपने साक्ष्य में दिये कथनों में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि हीरालाल की मृत्यु के बाद सेवापूजा पंडित चतुर्भुज करते थे। इस प्रकार प0चतुर्भुज की हैसियत अपीलार्थी के पुजारी के रूप में वादीगण स्वयं स्वीकार करते हैं। साक्ष्य विधि की मान्य अवधारणा है कि स्वीकृत तथ्यों को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आर आर टी 2024 (1) में पारित निर्णय में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त पारित किया है कि माफी मंदिर की खुदकाश्ट भूमि पर पुजारी को काश्ट करने के आधार पर खातेदारी प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। जिसे प्रत्यर्थागण भी अप्रत्यक्ष रूप से सहमत हैं। इसलिए वो राजस्व अभिलेख के विपरीत चतुर्भुज को बार बार सबटीनेन्ट के रूप में संबोधित करते हैं जो अभिलेख में कही भी सबटीनेन्ट नहीं है। इसी उपरोक्त निर्णय में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि एकीकरण विभाग को किसी को खातेदारी प्रदान करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं था। एकीकरण द्वारा बिना क्षेत्राधिकार प्रदत्त खातेदारी के आधार पर पश्चातवर्ती कथित दानपत्र दिनांक 25.1.74 मूल रूप से शून्य एवं प्रभावहीन है। क्योंकि सम्पत्ति अन्तरण में अज्ञापक प्रावधानों के अनुसरण में अचल सम्पत्ति में अन्तरक को जो हक व अधिकार हासिल थे वही अन्तरिती को प्राप्त होते हैं। जब अन्तरक को कोई अधिकार वादग्रस्त भूमि पर नहीं थे तो वादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दानपत्र को अहमियत देकर गंभीर विधिक त्रुटि किये जाने से अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि खसरा गिरदावरी राईट ऑफ रिकार्ड नहीं है। इसलिए उसके आधार पर खातेदारी होना नहीं माना जा सकता है साथ ही मंदिर माफी की भूमि सम्वत 2016 में वादीगण के नाम होने से कोई अधिकार नहीं हो सकते हैं क्योंकि एकीकरण में किसी को खातेदारी देने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। मंदिर की भूमि में खातेदारी का निर्णय सम्वत 2008 से 2011 की जमाबंदी में नाम होने व भूमि सुधार एवं जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है। विशेष कर धारा 9 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ही जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं देकर कानूनी भूल की है। जबकि पक्षकारान द्वारा इसका विशेष उल्लेख किया गया था तथा कई माननीय न्यायालयों की नजीरे भी प्रस्तुत की गई थी। भूमि का खालसा रजिस्टर, खालसा की तिथी, खालसा करने वाले अधिकारी का पदनाम आदि ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया है जबकि अपीलांत द्वारा माफीयात रजिस्टर प्रस्तुत किये हैं। जिसमें उक्त विवादित भूमि मंदिर श्री रघुनाथ जी के नाम दर्ज है। अधिनस्थ




राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

न्यायालय ने अपने निर्णय का आधार मात्र खसरा गिरदावरी को ही माना है। जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय एवं राजस्व मंडल द्वारा सुस्थापित विधिक प्रावधानों के अनुसरण में खसरा गिरदावरी कब्जे के साक्ष्य में रूप में ग्रहण नहीं की जा सकती है। जैसा कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में मत प्रकट किया है कि खसरा गिरदावरी के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते, अधिनस्थ न्यायालय ने खसरा गिरदावरी पर विश्वास कर विधिक त्रुटि किये जाने से निर्णय निरस्त योग्य है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकर फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपारस्त फरमाया जावे।



रेस्पोंडेंट के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रस्तुत चार अपीलों में से 3 अपीलें दावे में पक्षकार रहे व्यथित पक्षकारों की ओर से पेश की हैं जबकि चौथी अपील मूर्ति मंदिर रघुनाथजी जरिये वाद मित्र अशोक पुत्र रमेश ब्राह्मण वाद मित्र के रूप में पेश की गई है। यह अपील धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है। उक्त अपील पेश करने हेतु धारा 96 सीपीसी के संबंध में जो तथ्य अंकित किये हैं उनमें यह कही अंकित नहीं है कि उसके अधिकार उक्त निर्णय से किस प्रकार प्रभावित हो रहे हैं। सन 1994 से चल रहे दावे के बारे में अचानक दिनांक 19.9.24 को आकर वाद मित्र बनकर उक्त अपील पेश करने मात्र से यह स्पष्ट है कि अपीलांट स्वयं ही अबोध था जिसके विवादित प्रकरण के बारे में पिछले 30 वर्ष से मंदिर की भूमि के बारे में कोई जानकारी नहीं थी तथा अचानक निर्णय के उपरान्त जानकारी हो गई। वास्तविकता यह है कि उक्त व्यक्ति जो वाद मित्र के रूप में अपील श्रीमान के समक्ष लेकर आये हैं वह मंदिर के स्वयं को पुजारी बताने वाले जगदीश नारायण मिश्र की बहन के लडके हैं तथा अपीलकर्ता की माँ स्वयं मौजूद है उक्त वाद मित्र का कभी मंदिर या उसकी भूमि से कभी कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रहा केवल मन में मंदिर की भूमि से लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से स्वयं को उसका वाद मित्र बताकर प्रकरण पेश किया है। जबकि मंदिर के पुजारी मौजूद हैं जहाँ मंदिर के पुजारी मौजूद हैं तथा मंदिर को देवस्थान अपनी सम्पत्ति मानता है वहाँ वाद मित्र के रूप में अपील नहीं चल सकती। इसलिए वाद मित्र अशोक की ओर से प्रस्तुत अपील आधारहीन होने के कारण निरस्त योग्य है। जहाँ तक अन्य तीन अपीलों के संबंध में निवेदन है कि अपील में मद नं० 1 में अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल माना है परन्तु किस प्रकार खिलाफ कानून है यह अंकित नहीं किया है। इस कारण अपील आधारहीन है। मद नं० 2 में निर्णय देने से पूर्व पत्रावली में प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन नहीं करना अंकित किया है जबकि निर्णय व डिक्री के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूरी पारदर्शिता के साथ निर्णय व डिक्री पारित की गई है तथा पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य की पूर्ण विवेचना कर प्रकरण में तनकीयात कायम कर तनकीयात में विस्तृत विवेचना कर निर्णय पारित किया गया है। जो पूर्ण रूप से विधि सम्मत निर्णय है। अपील निरस्त योग्य है। अपील में मद नं० 3 में अपीलांट द्वारा वर्णित तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट स्वयं यह मानते हैं कि सम्मत 1984 के वाद मंदिर की माफी खालसा करके भूमि स्टेट के कब्जे में ली गई तथा उक्त भूमि के सबटीनेन्ट चतुर्भुज थे जिनके नाम खातेदारी दर्ज हो गई अर्थात् अपील के मद नं० 3 में अपीलांट द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर




वादीगण के दावे का कथन अंकित किया है। इसी प्रकार मद न0 4 में न्यायालय द्वारा कायम तनकीयात व वादीगण व प्रतिवादीगण के दस्तावेजात व मौखिक साक्ष्य का कथन किया है जो पत्र में अंकित है तथा मद न0 5 में न्यायालय द्वारा डिकी किये आदेश का अंकन कर अपील कराना आवश्यक होने का कथन किया है तथा अपील के मद न0 6 में न्यायालय द्वारा कायम तनकी संख्या 1 के निर्णय को खिलाफ कानून बताया है तथा कथन किया है कि इस तनकी को जमाबंदी सम्मत 2016 के आधार पर निर्णित किया है उक्त जमाबंदी में चतुर्भुज पुत्र हीरालाल का नाम बिना सक्षम अधिकारी के आदेश से दर्ज किया गया। भूमि के खालसा होने की पुष्टि जिस पत्र द्वारा की गई है उसमें स्थान का नाम दर्ज नहीं है अर्थात् अपीलांत स्वयं यह मानते हैं कि भूमि को खालसा किया गया तथा जिस पत्र द्वारा खालसा किया गया उस पर संदेह जाहिर कर रहे हैं। जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में स्पष्ट से तनकी संख्या 1 के निर्णय में अंकित किया है। भूमि खालसा होने की पुष्टि जिलाधीश सवाई माधोपुर द्वारा देवस्थान विभाग उदयपुर को लिखे गये पत्र क्रमांक:प.3/राज/82/5583 दिनांक 2 जुलाई 1983 प्रदर्श 23 से होती है। इस पत्र में लिखा है कि उपरोक्त विषयान्तर्गत जाँच कर तहसीलदार गंगापुर सिटी को अवगत कराया गया है कि मंदिर श्री रघुनाथजी स्थित कस्बा गंगापुर सिटी की माफी की भूमि का राजस्व रिकार्ड में सम्मत 1984 तक इन्द्राज का भूतपूर्व जयपुर रियासत के समय में ही महकमा कौंसिल जयपुर के आदेशानुसार इस मंदिर की माफी को खालसा कर स्टेट के कब्जे में ले लिया गया तथा उस समय जो काश्तकार काश्त कर रहे थे उनको सम्मत 2003 में बंदोवस्त में खातेदारी अधिकार मिल गये तथा उसके उपरान्त खातेदारों द्वारा भूमि का रहन व विक्रय अन्य खातेदारों की तरह किया गया। चूकि: इस मंदिर की माफी सम्मत 1996 में ही खालसा हो गई थी इसलिए इस भूमि को मंदिर की माफी का नहीं माना जा सकता है। उक्त कथन को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने जबाब दावे में मद न0 1 में आंशिक रूप से स्वीकार किया है अर्थात् प्रदर्श 6 व प्रदर्श 7 से स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि विवादित भूमि के खातेदार चतुर्भुज पुत्र हीरालाल रहे परन्तु हाल सेटलमेंट भूमि को गलत रूप से मंदिर रघुनाथजी के नाम दर्ज कर दिया जिसके संबंध में प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा खतौनी सेटलमेंट सम्मत 2039 प्रदर्श ए-2 पेश की है जिससे खातेदारी वर्तमान नम्बर की मंदिर के नाम दर्ज है जिसके बारे में वादीगण का कथन है कि सेटलमेंट द्वारा गलत तरीके से बिना किसी आधार के भूमि मंदिर के नाम दर्ज की गई जबकि भूमि पर लगातार वादीगण का कब्जा काश्त है गिरदावरी सम्मत, 2008-11 प्रदर्श 5 व प्रदर्श 4 से साबित है। उक्त तथ्यों का जो विवेचन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया है वह बिलकुल विधि सम्मत रूप से दस्तावेजों के अवलोकन से किया गया है तथा तनकी को सही रूप से वादीगण के पक्ष में निर्णित किया है जहाँ तक भूमि के खालसा नहीं होने का प्रश्न है इसके बाबत अपीलांत द्वारा कोई दस्तावेज या कथन अपने जबाब दावे में अंकित नहीं किया है। जिला कलेक्टर के पत्रांक प.3/राज/82/5583 दिनांक 2 जुलाई 1983 तथा इस पत्र हेतु आई तहसीलदार की रिपोर्ट के विरुद्ध हो अर्थात् अपीलांत एक और जिला कलेक्टर के अधीन संधारित दस्तावेजों को सही मानते तथा दुसरी और जिला कलेक्टर स्वयं द्वारा जारी दस्तावेज व तहसीलदार की रिपोर्ट का मिथ्या होने का कथन करते हैं जो विरोधाभासी है। क्योंकि जमाबंदी व गिरदावरी सरकारी दस्तावेज हैं इसी प्रकार उक्त पत्र भी सरकारी दस्तावेज हैं जिसे मिथ्या नहीं कहा जा सकता है।

अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

जहाँ तक देवस्थान विभाग का प्रश्न है देवस्थान विभाग को स्वयं जिला कलेक्टर द्वारा अपने पत्र से भूमि के खालसा होने की पुष्टि बाबत पत्र लिखा गया तथ देवस्थान विभाग ने स्वयं अपने जबाब दावे मे यह अंकित किया है कि मंदिर देवस्थान विभाग का नियंत्रित है तथा समस्त खर्चा देवस्थान विभाग उठाता है। भूमि पर पं० चतुर्भुज का कब्जा होना देवस्थान विभाग स्वीकार करता है जिससे यह प्रमाणित होता है कि भूमि खालसा होकर पं० चतुर्भुज की खातेदारी मे सबटीनेन्ट होने के नाते दर्ज हो गई। वास्तविकता यह रही कि जागीर रिजेम्पशन एक्ट 1952 के द्वितीय परिशिष्ट के अन्तर्गत मंदिर को एन्यूटी दी जाती है। विवादित भूमि मंदिर की भूमि नहीं रही है बल्कि उदक की भूमि रही है। जो मंदिर नहीं होकर व्यक्ति विशेष की भूमि है तथा इसे जयपुर कौंसिल रियासत द्वारा काशत हेतु दी जाती है इस प्रकार उक्त भूमि मंदिर की भूमि नहीं रही है तथा जयपुर टीनेन्सी एक्ट मे उदक की भूमि को मंदिर की भूमि नहीं माना अर्थात् वर्तमान सेटलमेंट द्वारा जो इन्द्राज उक्त विवादित भूमि बाबत दर्ज किये गये है वह गलत है व अवैधानिक रहे। यहाँ यह उल्लेखित करना भी आवश्यक है कि राजस्थान लैण्ड रिफोर्म एण्ड रिज्मपशन ऑफ जागीर एक्ट 1952 लागू होने के समय एवं उससे पूर्व जयपुर टीनेन्सी एक्ट व जयपुर स्टेट ग्रान्ट लैण्ड टिनोर्स एक्ट 1947 के लागू होने के समय व उसके बाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के बाद भी वादीगण व उसके बुजुर्ग चतुर्भुज भूमि पर लगातार काबिज काशत खातेदार रहे है तथा उन्हे खातेदारी अधिकार पहले ही मिल चुके जिन्हे बाद मे किसी भी कानून के द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता है अर्थात् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुरूप निर्णय पारित किया है। अपील खारिज फरमाई जावे। अपीलांट का कथन रहा कि तनकी संख्या 2 का निर्णय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ऑख मूद कर किया गया है जबकि तनकी संख्या 2 के निर्णय के विवेचन मे स्पष्ट रूप से वर्णित है कि विवादित भूमि बाबत दान पत्र चतुर्भुज द्वारा प्रेमदेवी, हरभेजी व युक्तिप्रसाद के नाम दिनांक 25.1.74 को रजिस्टर्ड करवाया था जिसके विरुद्ध लाजपत द्वारा सिविल न्यायालय मे वाद पेश किया । उक्त भूमि दान पत्र के आधार पर वादीगण के नाम दर्ज हो गई। जिसे सेटलमेंट को निरस्त करने का अधिकार नहीं था तथा तनकी को सही रूप से वादीगण के पक्ष मे निर्णित कर दावा डिकी किया गया है। अपीलांट द्वारा सेटलमेंट की कार्यवाही को सही बताया है तथा सेटलमेंट को वादीगण को सुनने की कोई आवश्यकता नहीं होना बताया है क्योंकि मंदिर की खातेदारी इल्लीगल रूप से वादीगण के नाम दर्ज हुई। मुताबिक अपील सेटलमेंट विभाग को बिना किसी पक्ष को सुने ही खातेदारी बदलने का अधिकार था जो अपने आप मे हास्याप्रद बात है क्योंकि एक और अपीलांट कानूनी कार्यवाही करने की बात करते है दूसरी और कानून के साथ सेटलमेंट विभाग द्वारा किये गये खिलवाड का समर्थन करते है अर्थात् अपीलांट स्वयं सरकारी संस्था होते हुए कानून को मजाक समझते है। कानून की कोई परवाह नहीं करते है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक रूप से तनकी संख्या 3 को वादी के पक्ष मे निर्णित किया गया है। इसी प्रकार अपीलांट द्वारा तनकी संख्या 4 को भी गलत करार दिया है परन्तु यह अंकित नहीं किया कि किस प्रकार उक्त तनकी का निर्णय गलत हुआ है। जबकी उक्त तनकी को कथनो की पुष्टि तनकी संख्या 1 से होने तथा पूर्ण रूप से विवेचित करते हुए निर्णय पारित किया गया है जो विधि के अनुरूप है। तनकी संख्या 5 के बाबत अपील मे प्रतिवादी संख्या 2 को तथ्य साबित करने थे परन्तु इसके बाबत प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा कोई मौखिक या

अपील प्राधिकारी
जयपुर

दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 5 को भी प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध निर्णित की है। जो विधि अनुरूप है। तनकी संख्या 6 के बाबत अपीलांत द्वारा मद न0 11 में जो कथन किया है उसके बाबत कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य पेश नहीं करने के कारण उक्त तनकी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सही रूप से प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध विधि अनुसार निर्णित की गई है। अपीलांत द्वारा अपील के मद न0 12 में सम्पूर्ण तनकी प्रतिवादी न0 3 के पक्ष में निर्णित करना कहा है जबकि उक्त तनकी आंशिक रूप से प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में निर्णित की गई है अर्थात् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित माना है कि भी रघुनाथजी आत्म निर्भर श्रेणी का मंदिर है तथा विवादित भूमि का मंदिर से संबंध होने का प्रश्न है उसे उसने तनकी नम्बर 1 लगायत 4 में वादीगण के पक्ष में निर्णित किया है। तनकी संख्या 8 को साबित करने का भार प्रतिवादी न0 5 पर था जिसे अपीलांत द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा रिकार्ड एवं मौके के विपरीत निर्णित करना कहा है यहाँ यह तनकी में भूमि की खातेदारी मंदिर के होने का संबंध नहीं है बल्कि भूमि जो चतुर्भुज की खातेदारी की भूमि रही है प्रतिवादी न0 5 का हिस्सा होने बाबत जिसमें तनकी प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में निर्णित की गई है। तनकी संख्या 9 व 10 अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 के विरुद्ध तय की गई है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 4 की मृत्यु उपरान्त इनके स्थान पर जगदीश नारायण मिश्र को देवस्थान विभाग द्वारा पुजारी नियुक्त किया गया जो पुजारी की हैसियत से पक्षकार मुकदमा है। जिसने प्रतिवादी संख्या 8 के रूप में मंदिर के पुजारी की हैसियत अपील पेश की है। जबकि वाद पत्र की तनकी संख्या 9 व 10 को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 4 के प्रतिनिधी प्रतिवादी न0 8 पर था परन्तु उनके द्वारा कोई दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया गया। जिससे उक्त तनकी उनके पक्ष में साबित हो सके। जहाँ तक अपील का प्रश्न है अपीलांत को मंदिर की भूमि में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है वह केवल वेतन भोगी पुजारी (कर्मचारी) है तथा प्रकरण मंदिर की सम्पत्ति को लेकर है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकीयात का सही रूप से विवेचन कर ही निर्णय पारित किया है। तनकी संख्या 11 व 12 को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 6 पर था जो कि खातेदार चतुर्भुज के वारिस है तथा उसके संबंध में पूर्व में तनकी संख्या 1 लगायत 4 में उक्त तनकीयात की पूर्ण विवेचना की जा चुकी है जिनके अनुसार ही अपीलाधीन निर्णय विधि अनुरूप पारित किया गया है। प्रकरण में पक्षकारान के मध्य मुख्य विवाद तनकी संख्या 1 ता 4 का रहा है जो वादीगण के पक्ष में निर्णित हुई है। हुकुम नहकमा खास रेवेन्यू राज सवाई द्वारा अपील भौरीलाल पि0 मुतनना मूसीराम निवासी गंगापुर बनाम सरकार में विवादित भूमि के बाबत अपने निर्णय दिनांक 26.4.1926 को भूमि का मातमी नजराना व जुरमाना भौरीलाल से वसूल किया जाकर भूमि वागुजास्त करने अर्थात् 26 अप्रैल 1926 के निर्णय से ही उक्त भूमि भौरीलाल मालिकाना रूप से प्राप्त हो चुकी थी अर्थात् भूमि मंदिर माफी की न होकर भौरीलाल की मालिकाना हक की भूमि रही है। इससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि मंदिर की नहीं रही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद पत्र पूर्ण विवेचन विश्लेषण एवं तनकीवार सिद्ध होने पर ही डिकी किया गया है। अपीलांत द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे की विवादित भूमि की खातेदारी वादीगण व उनके बुजुर्ग चतुर्भुज के नाम नहीं रही हो उनका भूमि पर



(Handwritten signature)

अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

कब्जा नही हो। वर्तमान मे मौके पर वादीगण/अपीलांट का कब्जा है तथा वे ही काबिज काशत है। इस कारण अपीलांट की अपील आधारहीन होने से निरस्त योग्य है।

मूर्ति मंदिर रघुनाथजी जरिये पुजारी जगदीश नारायण बनाम प्रेमदेवी व अन्य के संबध मे निवेदन है कि अपीलाधीन निर्णय तनकी संख्या 9 व 10 का संबध पुजारी मंदिर से है तथा उन्हे यह तनकी साबित करनी थी परन्तु प्रतिवादी संख्या 4 के प्रतिनिधी के बतौर पुजारी प्रतिवादी संख्या 8 उक्त तनकीयात को साबित करने असफल रहे जिनका विस्तृत विवेचन बहस मे तनकी संख्या 1 लगायत 4 मे किया जा चुका है तथा अन्य आधारो पर अपीलांट को अपील पेश करने का कोई अधिकार नही है। इस कारण अपील निरस्त योग्य है। अपीलांट द्वारा यह अपील देवस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 225 के तहत पेश की गई जबकि निर्णय व डिक्री की अपील सेक्शन 223 आर टी एक्ट के तहत पेश करने का प्रावधान है इस कारण अपील इसी स्टेज पर खारिज योग्य है। अपीलांट ने अपील मे अंकित किया है कि अपीलांट पूर्व मे पक्षकार नही था प्रार्थी को पक्षकार बनाया जावे। अपीलांट ने उक्त मंदिर को स्वयं की निजी पारिवारिक सम्पति होना अंकित कर कथन किया कि अपीलांट के बुजुर्गान व हिस्सेदारान के मध्य मंदिर व उसकी जमीन जायदाद देवस्थान विभाग के पास कोर्ट ऑफ वार्डस एक्ट के तहत सुपुर्दगी मे चली गई तथा इसी आधार पर देवस्थान विभाग द्वारा मंदिर व उसकी जायदाद की देखभाल का अंकन किया है। पं० चतुर्भुज कभी मंदिर के पुजारी नही रहे तथ्यो का उल्लेख करते हुए अपील पेश की है। इस अपील मे वर्णित तथ्यो को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 ता 4 मे पूर्ण रूप से मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य जो पक्षकारान द्वारा प्रस्तु किये गये है कि पूर्ण विवेचना की है जहाँ तक पं० चतुर्भुज का प्रश्न है वादीगण द्वारा स्वयं उसके सबटीनेन्ट बताया है तथा सभी जबाबदारो द्वारा भी चतुर्भुज को भूमि का सबटीनेन्ट ही बताया गया है ना कि पुजारी परन्तु प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा चतुर्भुज का मंदिर के पुजारी के रूप मे दर्शाने का प्रयास कर उसे पुजारी नही होना अंकित किय है तनकी संख्या 1 ता 4 मे अपीलांट द्वारा अपनी अपील मे उठाये गये सभी तथ्यो की पूर्ण रूप से विवेचना कर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा जो न्यायिक दृष्टांतो का उल्लेख किया है वह मंदिर के पुजारी के खातेदारी प्राप्त करने के विरुद्ध है जो स्वयं अपीलांट के ही विरुद्ध है। क्योकि अपीलांट स्वयं को मंदिर का पुजारी की हैसियत मुताबिक सजरा इंगित करता है अर्थात स्वयं ही स्वयं के विरुद्ध न्यायिक दृष्टांत पेश कर रहे है। सम्पूर्ण वाद पत्र मे या जबाब दावे मे केवल प्रतिवादी 7 को छोडकर किसी भी पक्षकार ने पं० चतुर्भुज को मंदिर का पुजारी नही कहा है केवल काबिज काशतकार होना अंकित किया है अर्थात अपीलांट की अपील आधारहीन होने से निरस्त योग्य है। क्योकि पं० चतुर्भुज को भूमि की खातेदारी मंदिर के पुजारी के तौर पर नही मिली बल्कि मातमी खालसा होने के बाद सबटीनेन्ट के रूप मे काशतकार होने के आधार पर खातेदारी मिली है। अपीलांट द्वारा अपनी अपील मे वर्णित समस्त तथ्यो की विवेचना तनकी संख्या 1 से 12 के विवेचन मे पूर्ण रूप से कर दी गई। जिसका पुनः वर्णन करना आवश्यक नही है। इस प्रकार प्रस्तुत चारो अपीले आधारहीन होने से निरस्त फरमाई जावे। निर्णय व डिक्री अधिनस्थ न्यायालय यथावत रखा जावे।



राजस्व अपील प्रा:
सर्व नाथोपुर

उभयपक्ष अधिवक्तागणों की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन निर्णय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व प्रस्तुत/उल्लेखित न्यायिक दृष्टांतों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि साबिक ख0न0 824 रकबा 3 विस्वा, 817 रकबा 1 बीघा 2 विस्वा, 818 रकबा 1 बीघा 2 विस्वा, 821 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा, 825 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा, 822 रकबा 2 बीघा 19 विस्वा, 815 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा, 816 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा, 823 रकबा 9 विस्वा कुल कित्ता 9 कुल रकबा 18 बीघा 3 विस्वा ग्राम मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी में स्थित है। जिसके एकीकरण में ख0न0 441 रकबा 3 विस्वा, 442/1 रकबा 17 बीघा 9 विस्वा, 442/2 रकबा 9 विस्वा कुल कित्ता 3 कुल रकबा 18 बीघा 6 विस्वा बनाये गये। हाल सेटलमेंट में इनके नये नम्बर 1063 रकबा 4.36 है0, 1064 रकबा 0.06 है0, 1065 रकबा 0.06 है0, 1066 रकबा 0.02 है0, 1067 रकबा 0.11 है0 बने हैं। जो कि नकल खतौनी एकीकरण सम्वत् 2016 से स्पष्ट है। उक्त भूमि सम्वत् 1984 से पूर्व श्री रघुनाथजी मंदिर की खातेदारी में थी और उक्त भूमि को सम्वत् 1984 के बाद जयपुर रियासत में कोन्सिल जयपुर ने इस मंदिर की माफी खालसा करके स्टेट के कब्जे में ले ली थी और सम्वत् 2003 में उक्त भूमि के सबटीनेन्ट पं0चतुर्भुज थे और उनके नाम कब्जे व मौके पर काश्त के आधार पर उक्त भूमि की खातेदारी दर्ज की गई। हुकुम महकमा खास रेवेन्यू राज सवाई द्वारा अपील भौरीलाल पि0 मुतनना मूसीराम निवासी गंगापुर बनाम सरकार में विवादित भूमि के बाबत अपने निर्णय दिनांक 26.4.1926 को भूमि का मातमी नजराना व जुरमाना भौरीलाल से वसूल किया जाकर भूमि वागुजास्त करने अर्थात् 26 अप्रैल 1926 के निर्णय से ही उक्त भूमि भौरीलाल मालिकाना रूप से प्राप्त हो चुकी थी अर्थात् भूमि मंदिर माफी की न होकर भौरीलाल की मालिकाना हक की भूमि रही है। इससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि मंदिर की नहीं रही है। उक्त भूमि के खातेदार पं0हीरालाल थे जो फौत हो गये जिनकी मृत्यु के पश्चात भूमि सम्वत् 2003 से लगातार भूमि पं0 चतुर्भुज की खातेदारी में चली आ रही थी। सन 1974 में उक्त भूमि पं0 चतुर्भुज ने जरिये दानपत्र वादीगण के नाम कर दी थी और कब्जा वादीगण को दे दिया गया था तभी से वादीगण उक्त भूमि पर काबिज काश्त हैं और सरकारी लगान अदा करते चले आ रहे हैं। दान पत्र के बाद उक्त भूमि की खातेदारी विधिवत वादीगण के नाम दर्ज गई थी और राजस्व रिकार्ड में इसका अमल हो चुका था परन्तु हाल सेटलमेंट ने बिना किसी सक्षम आदेश के वादीगण को बिना कोई सुनवाई का मौका दिये उक्त भूमि मंदिर श्री रघुनाथ जी के माफी में दर्ज कर दी और हाल ख0न0 1067 रकबा 11 ऐयर को सिवायचक दर्ज कर दिया जबकि भू प्रबंध विभाग को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। उक्त भूमि पर वादीगण ही काबिज काश्त हैं। उक्त भूमि को गलत तरीके से माफी मंदिर श्री रघुनाथ जी विराजमान गंगापुर सिटी दर्ज किया गया है। उक्त भूमि खालसा हो चुकी है। उक्त भूमि के सबटीनेन्ट पं0चतुर्भुज थे। जिसकी पुष्टि पत्र संख्या प.3/राज/82/5583 दिनांक 2.7.83 से होती है। विवादित आराजीयात पं0 चतुर्भुज की खातेदारी में दर्ज होने का कथन की पुष्टि वयान डी डब्लू 7 से होती है। जिसमें विवादित भूमि चतुर्भुज की खातेदारी में दर्ज होना स्वीकार किया है। भूमि खालसा होने के पश्चात हीरालाल के नाम दर्ज हुई है एवं हीरालाल की मृत्यु के पश्चात वादीगण के वुजुर्ग पं0चतुर्भुज के नाम सबटीनेन्ट दर्ज होने पर ही पं0चतुर्भुज द्वारा सन 1974 में वादीगण के रजिस्टर्ड दान पत्र किया है। सेटलमेंट के दौरान वर्ष 1980-82 में सेटलमेंट




अपील प्राधिकारी
सवाई माथपुर

विभाग द्वारा भूमि को गलत तरीके से वादीगण को खातेदारी अधिकारो से वंचित करने के कारण ही वाद पेश किया गया था। राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी मुताबिक कब्जा व मौके पर काश्त होने पर ही दर्ज किया जाता है जिसके आधार पर ही वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी दर्ज हुई है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध जमाबंदी सम्वत 2016 से 2019 मे भूमि के खालसा होने का नोट अंकित है। अपीलांट द्वारा जिस दान पत्र को अपील का आधार माना है उस दान पत्र को अपीलांट द्वारा दौराने दावा तलब कराने हेतु कोई प्रार्थना नही की गई है। नकल जमाबंदी सम्वत 2016 प्रदर्श 6 व 7 मे काबिज काश्तकार के रूप मे कॉलम संख्या 5 मे चरुंज पुत्र हीरालाल का नाम दर्ज रिकार्ड है। भूमि खालसा होने के पुष्टि जिलाधीश सवाई माधोपुर द्वारा देवस्थान विभाग उदयपुर को लिखे गये पत्र क्रमांक प.3/राज/83/5583 दिनांक 2.7.1983 प्रदर्श 23 से भी होती है। भूमि खालसा होने के पश्चात सम्वत 2003 मे बंदोवस्त के दौरान भूमि पर काबिज काश्तकारान को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है। तत्पश्चात इन खातेदारो द्वारा भूमि का रहन बेचान भी अन्य खातेदारो की भांति किया गया है। भूमि सम्वत 1996 मे ही खालसा हो गई थी। इस प्रकार राजस्थान काश्कारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही वादीगण का विवादित आराजीयात पर कब्जा काश्त है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य प्राप्त कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं वादी एवं प्रतिवादी की मौखिक साक्ष्य का पूर्ण रूप से विवेचन करने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। इसी प्रकार अपील संख्या 72/24 जो कि धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है, जिसमे अपीलांट का किसी प्रकार का हित निहित नही होने से अपील खारिज योग्य है तथा अन्य तीनों अपीले भी सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपीलाटान द्वारा प्रस्तुत उक्त चारो अपीले खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के मु0नं0 187/94 निर्णय व डिकी दिनांक 02.8.24 की पुष्टि की जाती है। निर्णय की प्रति चारो पत्रावलियों मे पृथक पृथक संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनया गया।


राजस्व अपील प्रधिकारी (सवाई माधोपुर)
राजस्व अपील प्राधिकारी